कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद।

पत्रांकः मु0चि0अ0/आयुष्मान-भारत/नियुक्ति/2018-19/5198 दिनांकः 22.09.2018

-:कार्यालय-ज्ञाप:-

अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 2212/पाँच-6-2018 चिकित्सा अनुभाग-6 दिनांक 27.07.2018 के क्रम में जारी प्रेस विज्ञप्ति पत्रांकः मु0चि0अ0/नियुक्ति/आयुष्मान/2018-19/849 दिनांक 18.08.2018 के द्वारा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को-ओर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट इनफोंमेशन सिस्टम मैनेजर तथा डिस्ट्रिक्ट ग्रिवांस मैनेजर पद हेतु आवेदन दिनांक 04.09.2018 तक आमंत्रित किये गये थे। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा उक्त पदों हेतु प्राप्त आवेदनों को स्क्रीनिंग करने के उपरान्त स्क्रीन-इन किये गये आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 17.09.2018 को चयन समिति द्वारा किया गया। साक्षात्कार के पश्चात् चयन समिति द्वारा निम्न आवेदकों का निम्नानुसार पद हेतु चयनित किया गया है:-

क्र0सं0	पदनाम	आवेदकों का नाम	पिता/पति का नाम	पता
01	डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को-ओर्डिनेटर	डा0 श्वाति चौहान	श्री गौरव प्रताप सिंह	सी0-23 सहकार नगर झोटवाड़ा, जयपुर (राजस्थान)
02	डिस्ट्रिक्ट इनफोंमेशन सिस्टम मैनेजर	श्री आशुतोष कुमार	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	मलखान चौक, छपरा(बिहार)
03	डिस्ट्रिक्ट ग्रिवांस मैनेजर	श्री सोनू प्रकाश	श्री जगदीश प्रसाद	172 मोहन नगर कॉलोनी, पिलखुवा, हापुड़

अतः अपना सहमति पत्र उपरोक्तानुसार आवेदित पद हेतु, के साथ आप सभी आवेदक अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र एवं राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित समस्त मूल प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति, दो पासपोर्ट साईज फोटो एवं रू0 100/- के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर(अनुबन्ध-पत्र) के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गाजियाबाद में प्रस्तुत करें। सूचना प्राप्त होने के तीन कार्य दिवस के अन्दर प्रतिवेदन प्रस्तुत न करने की दशा में माना जायेगा कि आप उपरोक्त पद की सेवा हेतु इच्छुक नही हैं।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृष्ठां0सं0: मु0चि0अ0/आयुष्मान-भारत/नियुक्ति/2018-19/5198 (1-5) तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदया, गाजियाबाद।
2. मुख्य विकास अधिकारी, गाजियाबाद।
3. प्रभारी अधिकारी(एन0आई0सी0), गाजियाबाद को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को WWW.ghaziabad.nic.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
4. स्टेनो, कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय-ज्ञाप को कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना सुनिश्चित करें।
5. उपरोक्त समस्त आवेदकों को इस आशय से कि सूचना प्राप्त होते ही तीन(3) दिवस के अन्दर उपरोक्तानुसार अनुपालन करें।
6. गार्ड फाईल।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी